



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग-दुर्ग (छ.ग.)

॥ कुम्हारी खारून ग्रीन्स, आवासीय परियोजना में भवन-आबंटन हेतु आवेदन पत्र ॥

भवन UID

क्रमांक .....

भवन संबंधी विवरण

1	योजना नाम	खारून ग्रीन्स आवासीय परियोजना
2	परियोजना का स्थान	कुम्हारी
3	आवेदित भवन/प्रकोष्ठ भवन का प्रकार	
4	भवन/प्रकोष्ठ भवन का विक्रय मूल्य	
5	पंजीयन राशि	
6	पंजीयन नम्बर/UID No.	

कृपया मण्डल के साथ संपर्क हेतु भविष्य में उपरोक्त UID No. को उपयोग में लायें ताकि कम्प्यूटरीकरण हो सकें ।

प्रति,

संपदा अधिकारी,  
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,  
संभाग-दुर्ग (छ.ग.)

संपदा अधिकारी  
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,  
संभाग-दुर्ग

महोदय,

आवेदक के संबंध में विस्तृत विवरण

1. आवेदक का नाम : .....
2. पिता/पति का नाम : .....
3. जन्मतिथि : .....आयु.....
4. पूर्ण पता : .....
5. ई-मेल आईडी : .....
6. फोन नम्बर (एस.टी.डी.कोड सहित) : दूरभाष नं.(निवास).....(कार्या.).....  
मोबाईल नम्बर .....
7. बैंक खाता विवरण : बैंक खाता क्रमांक.....  
: शाखा का नाम .....
- : PFC Code .....

1. व्यवसाय : .....
2. वार्षिक आय : अ.व्यक्तिगत .....  
(स्ववित्तीय योजनांतर्गत EWS एवं  
भाडाक्रय के सभी हितग्राहियों के लिए : ब.पारिवारिक .....  
प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)
3. वर्ग (आरक्षित वर्ग के हितग्राही निर्धारित .....प्रमाण पत्र संलग्न करें)
4. आवेदक द्वारा नामित व्यक्ति का नाम : .....पिता/पुत्र/पत्नि/पुत्री  
उम्र .....संबंध.....  
पता .....

स्थान : .....

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक : .....

पूरा नाम .....

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है :-

01. आवेदक जिस वर्ग में आवेदन कर रहा है, उसका प्रमाण पत्र ।
02. आय प्रमाण-पत्र ।
03. पंजीयन राशि रु .....बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट/चालान क्रमांक.....  
दिनांक .....बैंक का नाम .....शाखा का नाम.....

संपदा अधिकारी  
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,  
संभाग-दुर्ग (छ.ग.)



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल

## छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग-दुर्ग (छ.ग.)

### भवन/फ्लैट आबंटन संबंधी नियम/शर्तें

01. फ्लैट के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल से एम.आई.जी. हेतु ₹ 800/-/एच.आई.जी. हेतु ₹ 1000 नगद भुगतान कर प्राप्त कर सकेंगे ।
02. आवेदन पत्र के साथ फ्लैट के मूल्य का 15 प्रतिशत पंजीयन राशि बैंकर्स चैक/डी.डी./RTGS के माध्यम से सूचना केन्द्र छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, सेक्टर-1, शंकर नगर, रायपुर अथवा संभागीय कार्यालय पद्मनाभपुर, दुर्ग में जमा करना होगा ।
03. फ्लैट में आरक्षण मण्डल की आवासीय योजनाओं के लिए प्रचलित नियमों के अनुसार होगा । जिसमें (1) अनुसूचित जाति 6% (2) अनु.जनजाति 4% (3) पिछड़ वर्ग 6% (4) मण्डल कर्मचारी 2% (5) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 1% (6) सैनिक एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2% (7) शारीरिक विकलांगों के लिए 3% (8) निराश्रित एवं विधवा महिलाओं के लिए 2% (9) साहित्यकार/बुद्धिजीवी/कलाकार 2% (10) पत्रकार 2% (11) शासकीय कर्मचारी 5% आरक्षित रहेगा । यदि आरक्षित वर्ग में विज्ञापन में दर्शित भवनों के पंजीयन प्राप्त नहीं होते हैं तो नियमानुसार तीन विज्ञापनों के पश्चात् उन्हें अनारक्षित वर्ग में परिवर्तित कर दिया जावेगा । ये आरक्षित भवन सभी प्रकार के फ्लैटों में उपलब्ध रहेंगे ।
04. विज्ञापन में दर्शित अवधि में यदि आवेदकों की संख्या उपलब्ध फ्लैट की संख्या से अधिक रही तो पंजीयन हेतु आवेदकों का चयन लॉटरी पद्धति से किया जावेगा । लॉटरी के समय पंजीयनकर्ता स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं । जिन व्यक्तियों के नाम लॉटरी में नहीं निकलेगा उनकी जमा पंजीयन राशि मूल चालान/रसीद प्रस्तुत करने पर बिना ब्याज के वापस की जावेगी ।
05. पंजीयन राशि फ्लैट के मूल्य में समायोजित की जावेगी । पंजीयन स्वीकृत होने के बाद जमा राशि वापस चाहने पर मूल चालान/रसीद प्रस्तुत करने पर पंजीयन राशि का 10% (दस प्रतिशत) कटौती की जाकर शेष राशि लौटायी जावेगी तथा कोई भी ब्याज जमा राशि पर देय नहीं होगा ।
06. पंजीयन के पश्चात् तालिका में अंकित किश्तें निर्धारित समय पर जमा करना होगा, अन्यथा निर्धारित समय पर किश्त प्राप्त न होने की दशा में नियमानुसार विलंबित अवधि का ब्याज देय होगा ।
07. पंजीयन पश्चात् आबंटन आदेश में दिये गये तालिकानुसार प्रथम किश्त कि राशि के साथ सभी चार समान किश्तें एकमुश्त जमा करने पर आबंटी को सम्पत्ति के विक्रय मूल्य पर 5% की छूट प्रदान की जावेगी ।
08. पंजीयन पश्चात् तालिका में अंकित प्रथम अथवा द्वितीय किश्त जमा करने के पश्चात् शेष किश्तों की राशि को एकमुश्त जमा करने पर, जमा दिनांक से अंतिम किश्त की तिथि तक नियमानुसार ब्याज दिया जावेगा ।
09. मण्डल द्वारा योजना कार्यदेश जारी होने के 18 माह की अवधि में पूर्ण की जावेगी । योजना में विलंब की स्थिति में संपदा अधिकारी देय किश्तों का पुनः निर्धारण कर समय पर हितग्राहियों को सूचित करेंगे ।
10. मण्डल द्वारा अंतिम मूल्य निर्धारण सक्षम अधिकारी से स्वीकृति पश्चात् आबंटी को मान्य एवं बंधनकारी होगा । आबंटी को फ्लैट के मूल्य पर आपत्ति हो तो मण्डल में जमा राशि नियमानुसार वापस प्राप्त कर सकेगा ।
11. पंजीयन के पश्चात् फ्लैट क्रमांक का आबंटन लॉटरी पद्धति से किया जावेगा । फ्लैट रिक्त होने की स्थिति में परिवर्तन शुल्क जमा कर फ्लैट क्रमांक परिवर्तन किया जा सकता है । इस संबंध में अंतिम निर्णय मण्डल का होगा एवं कोई दावा मान्य नहीं होगा ।

12. स्व-वित्तीय योजना के अंतर्गत फ्लैट हेतु प्रस्तावित भूखण्ड का मूल्य निर्धारण किया जावेगा। मूल्य निर्धारण उपरांत भूखण्डों एवं फ्लैट का विक्रय विलेख पंजीयन कार्यालय के नियमों के तहत किया जावेगा। रजिस्ट्री का व्यय संबंधित हितग्राही को वहन करना होगा। फ्लैट के निर्माण हेतु स्व-वित्तीय योजना अंतर्गत संलग्न तालिका में जो राशि विभिन्न तिथियों पर भुगतान हेतु निर्धारित है, निर्धारित समय पर देना होगा विलंब हेतु नियमानुसार ब्याज देय होगा।
13. जहाँ प्रकोष्ठ भवनों में भूतल पर कवर्ड पार्किंग का प्रावधान रखा गया है, उसका उपयोग संबंधित ब्लाक के आबंटी सामूहिक रूप से बिना विवाद के पार्किंग का उपयोग करेंगे।
14. आधिपत्य प्राप्त होने के दो वर्षों के अन्दर सभी आबंटियों को मिलकर सोसायटी का गठन करना अनिवार्य होगा। पंजीकृत सोसायटी को रखरखाव मद में जमा राशि में से व्यय की गई राशि काटकर शेष राशि मण्डल के नियमानुसार प्रदान किया जावेगा।
15. निर्मित प्रकोष्ठ भवनों के निश्चित प्रांगण में स्थित ग्रुप हाऊसिंग से सामूहिक व्यवस्थाओं के 5 वर्षों के रखरखाव हेतु फ्लैट के विक्रय मूल्य का 5% (पॉच प्रतिशत) अतिरिक्त राशि ली जावेगी।
16. पत्र व्यवहार हेतु आवेदक अपना पता फोन नं./मोबाईल नं./ई-मेल आईडी स्पष्ट रूप से ओवदन फार्म में अंकित करें। अधूरे एवं गलत पते के कारण अथवा डाक व्यवस्था के कारण सूचना नहीं मिलने पर जवाबदारी मण्डल की नहीं होगी।
17. उक्त योजनांतर्गत मण्डल द्वारा समय-समय पर लागू किए गए नियम एवं शर्तों को मानने के लिए आवेदक बाध्य रहेगा।
18. फ्लैट पूर्ण होने के पश्चात् निर्धारित समयावधि में हितग्राही, यदि आधिपत्य नहीं प्राप्त करते हैं, तो फ्लैट में सुरक्षा हेतु मण्डल के नियमानुसार निर्धारित दर से सुरक्षा शुल्क देय होगा।
19. पंजीयन के पश्चात् तालिका में अंकित किश्तें समय पर चुकाना होगा, किश्तें समय पर जमा नहीं होने की स्थिति में मण्डल पंजीयन निरस्त करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।
20. ऐसे पंजीयनकर्ता जो शासन व वित्तीय संस्था से फ्लैट क्रय करने हेतु ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें मण्डल द्वारा निर्धारित ऋण प्रमाण पत्र मांग अनुसार प्रदाय किया जावेगा, किन्तु तालिका में निर्धारित राशि जमा करने की तिथियों को शिथिल नहीं किया जावेगा एवं तदानुसार निश्चित दिनोंक को रकम जमा करने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
21. यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से स्व-वित्तीय योजनांतर्गत किश्तें जमा करने के लिए हितग्राही द्वारा समयावधिबढ़ाई जाने की मांगी जाती है तो उक्त बढ़ाई गई अवधि के लिए मण्डल द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज, हितग्राही को जमा करना होगा।
22. विज्ञापन में दर्शायी गई कीमत अनुमानित है, फ्लैट का अंतिम मूल्य, वास्तविक व्यय के आधार पर मण्डल के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्माण पूर्ण होने पर निर्धारित किया जावेगा, जो आबंटी को मान्य होगा।
- 23.(अ) जिन योजनाओं में घोषित मूल्य से 10% से अधिक की मूल्य वृद्धि होती है, उन योजनाओं में पंजीकृत हितग्राही, यदि भवन लेने असहमति व्यक्त करते हैं, तो उनकी जमा राशि 7.5% ब्याज दर सहित वापस की जावेगी। इस प्रकार रिक्त हुए भवनों को पूर्ण मूल्य आधार पर ऑफर दर से नियमानुसार विक्रय की कार्यवाही की जावेगी।

(ब) भवन के विज्ञापित अनुमानित मूल्य के अतिरिक्त अग्रिम लीज़रेंट, भू-संधारण शुल्क, कामन सर्विस चार्जस, बीमा शुल्क तथा राज्य शासन के अन्य प्रभार एवं नल कनेक्शन प्रभार नियमानुसार पृथक से आबंटन/आधिपत्य पूर्व जो कि भवन के मूल्य का लगभग 10% होगा, पृथक से देय होगा । स्थानीय निकाय, राज्य शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा यदि कोई अन्य शुल्क प्रभारित किया जाता है तो वह भी पृथक से देय होंगे ।

24.

(अ) कोने पर स्थित भवन हेतु भूखण्ड की कीमत का 10% तथा बेटर लोकेशन वाले भवन हेतु भूखण्ड की कीमत की 5% अतिरिक्त राशि पृथक देना होगा ।

(ब) आयुक्त छ.ग.गृह निर्माण मण्डल द्वारा गठित समिति द्वारा योजना में शामिल समस्त प्रकार के भवनों में से कर्नर/बेटर लोकेशन पर स्थित भवनों एवं मॉडल हाऊस को ऑफर के माध्यम से विक्रय हेतु चिन्हांकित किया जावेगा तथा उक्त चिन्हित भवन सामान्य आबंटन प्रक्रिया से पृथक होंगे । सामान्य आबंटन की प्रक्रिया से पहले चिन्हित भवन सुरक्षित रखे जावेंगे ।

25. पंजीयन एवं किशतों की निर्धारित तिथियों में अपरिहार्य कारणों से अवकाश होने की दशा में देय राशि अगले कार्य दिवस को स्वीकार की जावेगी ।

26. भवन के डिजाईन तथा स्पेसीफिकेशन मण्डल द्वारा ही तय किये जायेंगे, इसमें व्यक्तिगत अथवा सामूहिक आवेदन पत्रों के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जायेगा एवं न ही कोई दावा मान्य होगा ।

27. आबंटित भूखण्ड पर मण्डल द्वारा भवन/फ्लैट निर्माण हेतु सहमति ₹ 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर भवन के आबंटन पश्चात् आबंटी को देना होगा ।

28. अन्य जानकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के संभाग कार्यालय पद्मनाभपुर, दुर्ग से कार्यालय अवधि में प्राप्त की जा सकती है, एवं मण्डल के वेबसाइट [www.cghb.gov.in](http://www.cghb.gov.in) में देखा जा सकता है ।

29. फ्लैट आबंटन के उपरांत किसी भी अपरिहार्य कारणों से आबंटन रद्द करने हेतु मण्डल स्वतंत्र होगा ।

30. ऐसी योजना/योजनाएँ जिनमें पर्याप्त संख्या में पंजीयन प्राप्त नहीं होते अथवा विवाद या अन्य कारण से योजना/योजनाएँ ली जानी मण्डल हित में नहीं होगा, उसे निरस्त करने हेतु मण्डल स्वतंत्र होगा ।

31. मैं वचन देता हूँ कि मुझे भवन/फ्लैट आबंटन होने की स्थिति में :-

(अ) मैं भवन/फ्लैट का उपयोग केवल आवास हेतु करूँगा ।

(ब) मैं मण्डल द्वारा निर्धारित किशत एवं अन्य प्रभार जो समय-समय पर भारित होंगे, का नियमित रूप से भुगतान करूँगा ।

(स) मैं शासन/स्थानीय शासन द्वारा निर्धारित प्रभार/कर आदि का नियमित रूप से भुगतान करूँगा ।

32. मैं प्रमाणित करता हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सही है, तथा कोई भी जानकारी असत्य साबित होने पर मण्डल को अधिकार होगा कि मेरा आबंटन रद्द कर दें ।

33. पंजीयन/आबंटन से संबंधित किसी भी विवाद के लिए आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, शंकर नगर, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

बिन्दु क्रमांक 1 से 33 तक सभी नियम शर्तें मुझे समझा दी गई है/पढ़ ली है, जो मुझे मान्य है ।

नोट :-

01. सूचना केन्द्र छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय, शंकर नगर, रायपुर एवं संभागीय कार्यालय, पद्मनाभपुर, दुर्ग में पंजीयन सुबह 10.30 से 12.30 एवं दोपहर पश्चात् 1.30 से 3.00 बजे तक किया जावेगा ।
02. पंजीयन संभागीय कार्यालय में रविवार को बंद रहेगा परन्तु सूचना केन्द्र छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, शंकर नगर, रायपुर में रविवार सुबह 11 से 1.00 बजे तक किया जावेगा ।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम .....

पता .....

.....

.....

फोन नं. ....

मोबाईल नं. ....



**छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग दुर्ग के अंतर्गत खारून ग्रीन्स, कुम्हारी में  
निर्माणाधीन भवनों हेतु भुगतान तालिका**



**प्रकोष्ठ भवनों (फ्लैट्स) हेतु**

क्रं.	भवनों के प्रकार एवं विक्रय मूल्य (लाख में)	उपलब्ध भवनों की संख्या	फ्लैट्स का कुर्सी क्षेत्रफल (वर्गफुट)	पंजीयन राशि (लाख में)	04 माह के अंदर या ब्लाक के 20 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर, जो बाद में हो (लाख में)			08 माह के अंदर या उस ब्लाक के 40 प्रतिशत पूर्ण होने पर, जो बाद में हो (लाख में)			12 माह के अंदर या ब्लॉक के 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर, जो बाद में हो (लाख में)			16 माह के अंदर या ब्लाक के 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर, जो बाद में हो (लाख में)			भवन का कुल विक्रय मूल्य सर्विस टैक्स सहित (लाख में)	रिमार्क
					प्रथम किश्त	सर्विस टैक्स (पंजीयन एवं प्रथम किश्त पर)	कुल (6+7)	द्वितीय किश्त	सर्विस टैक्स (द्वितीय किश्त पर)	कुल (9+10)	तृतीय किश्त	सर्विस टैक्स (तृतीय किश्त पर)	कुल (12+13)	चतुर्थ किश्त	सर्विस टैक्स (चतुर्थ किश्त पर)	कुल (15+16)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1</b>	<b>Amal tash H-I flat</b>	<b>26</b>																
	1st floor (22.60)	2	1353.71	3.39	4.80	0.21	5.01	4.80	0.12	4.92	4.80	0.12	4.92	4.81	0.12	4.93	23.17	अंतिम मूल्य निर्धारण के आधार पर शेष देय राशि एवं अन्य कर जैसे-भू-भाटक/ अनुज्ञा शुल्क आदि
	2nd floor (21.80)	6	1353.71	3.27	4.63	0.20	4.83	4.63	0.12	4.75	4.63	0.12	4.75	4.64	0.12	4.76	22.36	
	3rd floor (21.30)	6	1353.71	3.19	4.52	0.20	4.72	4.52	0.12	4.64	4.52	0.12	4.64	4.55	0.12	4.67	21.86	
	4th floor (20.80)	6	1353.71	3.12	4.42	0.19	4.61	4.42	0.11	4.53	4.42	0.11	4.53	4.42	0.11	4.53	21.32	
	5th floor (20.00)	6	1353.71	3.00	4.25	0.19	4.44	4.25	0.11	4.36	4.25	0.11	4.36	4.25	0.11	4.36	20.52	
<b>2</b>	<b>Amal tash H-II flat</b>	<b>10</b>																
	1st floor (17.75)	2	916.85	2.66	3.77	0.17	3.94	3.77	0.10	3.87	3.77	0.10	3.87	3.78	0.10	3.88	18.22	अतिरिक्त देय जो भवन के पूर्ण मूल्य का लगभग 10 प्रतिशत होगा। इसके अलावा प्रकोष्ठ भवनों/ग्रुप हाऊसिंग भवनों की सर्वजनिक
	2nd floor (16.95)	2	916.85	2.54	3.60	0.16	3.76	3.60	0.10	3.70	3.60	0.10	3.70	3.61	0.10	3.71	17.41	
	3rd floor (16.45)	2	916.85	2.47	3.49	0.15	3.64	3.49	0.09	3.58	3.49	0.09	3.58	3.51	0.09	3.60	16.87	
	4th floor (15.95)	2	916.85	2.39	3.39	0.15	3.54	3.39	0.09	3.48	3.39	0.09	3.48	3.39	0.09	3.48	16.37	
	5th floor (15.15)	2	916.85	2.27	3.22	0.14	3.36	3.22	0.08	3.30	3.22	0.08	3.30	3.22	0.08	3.30	15.53	
<b>3</b>	<b>Amal tash M-I flat</b>	<b>26</b>																
	1st floor (18.25)	2	1065.01	2.73	3.88	0.17	4.05	3.88	0.10	3.98	3.88	0.10	3.98	3.88	0.10	3.98	18.72	

	2nd floor (17.45)	6	1065.01	2.61	3.71	0.16	3.87	3.71	0.10	3.81	3.71	0.10	3.81	3.71	0.10	3.81	17.91	सुविधाओं के रख रखाव हेतु भवन के विक्रय मूल्य का 5 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगी ।
	3rd floor (16.95)	6	1065.01	2.54	3.60	0.16	3.76	3.60	0.09	3.69	3.60	0.09	3.69	3.61	0.09	3.70	17.38	
	4th floor (16.45)	6	1065.01	2.46	3.49	0.15	3.64	3.49	0.09	3.58	3.49	0.09	3.58	3.52	0.09	3.61	16.87	
	5th floor (15.65)	6	1065.01	2.34	3.32	0.15	3.47	3.32	0.09	3.41	3.32	0.09	3.41	3.35	0.08	3.43	16.06	
<b>4</b>	<b>Amal tash M-II flat</b>	<b>10</b>																
	1st floor (16.50)	2	971.18	2.47	3.50	0.15	3.65	3.50	0.10	3.60	3.50	0.10	3.60	3.53	0.10	3.63	16.95	
	2nd floor (15.75)	2	971.18	2.36	3.34	0.15	3.49	3.34	0.08	3.42	3.34	0.08	3.42	3.37	0.08	3.45	16.14	
	3rd floor (15.25)	2	971.18	2.28	3.24	0.14	3.38	3.24	0.08	3.32	3.24	0.08	3.32	3.25	0.08	3.33	15.63	
	4th floor (14.75)	2	971.18	2.21	3.13	0.14	3.27	3.13	0.08	3.21	3.13	0.08	3.21	3.15	0.08	3.23	15.13	
	5th floor (14.00)	2	971.18	2.10	2.97	0.13	3.10	2.97	0.07	3.04	2.97	0.07	3.04	2.99	0.07	3.06	14.34	
<b>5</b>	<b>Amal tash M-III flat</b>	<b>26</b>																
	1st floor (16.00)	2	854.66	2.40	3.40	0.15	3.55	3.40	0.09	3.49	3.40	0.09	3.49	3.40	0.09	3.49	16.42	
	2nd floor (15.25)	6	854.66	2.28	3.24	0.14	3.38	3.24	0.08	3.32	3.24	0.08	3.32	3.25	0.08	3.33	15.63	
	3rd floor (14.75)	6	854.66	2.21	3.13	0.14	3.27	3.13	0.08	3.21	3.13	0.08	3.21	3.15	0.08	3.23	15.13	
	4th floor (14.25)	6	854.66	2.13	3.03	0.13	3.16	3.03	0.08	3.11	3.03	0.08	3.11	3.03	0.08	3.11	14.62	
	5th floor (13.50)	6	854.66	2.00	2.87	0.13	3.00	2.87	0.07	2.94	2.87	0.07	2.94	2.89	0.07	2.96	13.84	
	<b>Total</b>	<b>98</b>																

संपदा अधिकारी  
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल